(राजस्थान सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 05/2024

बउनवान

जोधराज उम्र 48 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी बांसखेडा तहसील छीपाबड़ौद
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1. श्री आलोक गोयल अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 20.02.2024

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 235/2023 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2023 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बांसखेडा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2080 मे खसरा नम्बर 32 की रकबा 3.00 बीघा भूमि पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये तावान से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 16.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस [illegible] किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब [illegible] मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाई गई है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] अतिचारी बाबत कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया। अपीलांट की अनुपस्थिति मे [illegible] किया गया है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नही है और ना ही उक्त प्रकरण मे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिसक की विधिवत तामील हुई है केवल मात्र हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2023 निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह भूमि पर रकबा 3 बीघा पर अतिक्रमण किया जाकर फसल मक्का की बोई गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील प्रोपर करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2079 में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 733/23 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2023 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2080 में भी इसी आराजी पर किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट में 3000 रूपये तावान राशि बकाया होना अंकित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा उक्त बकाया राशि जमा होने की स्पष्ट रसीद भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील प्रोपर करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में अनुपस्थित रहा है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 235/2023 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 13.10.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **20.02.2024** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested